हस्तक्षेप

राष्ट्रीयता का यक्ष प्रश्न ?

शत्रु संपत्ति पर सांप्रदायिक राजनीति

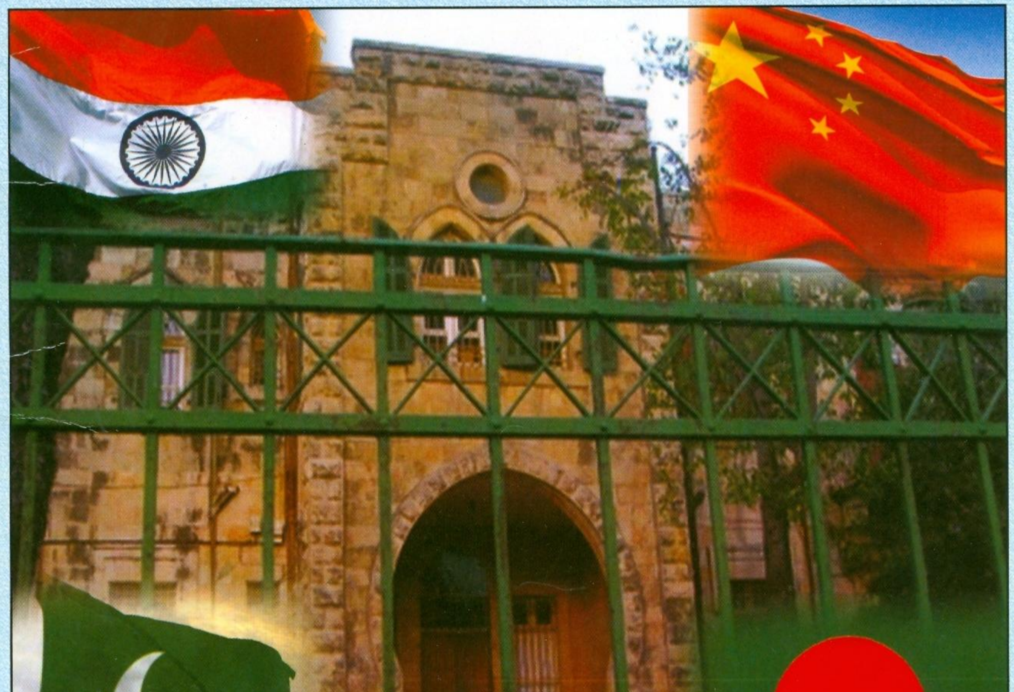

भारत नीति प्रतिष्ठान

हस्तक्षेप

राष्ट्रीयता का यक्ष प्रश्न?

शत्रु संपत्ति पर सांप्रदायिक राजनीति

प्रोजेक्ट समन्वयक

डॉ. सुषमा वाहेंगबम

लेखक

मनमोहन शर्मा

ओंकारेंश्वर पांडेय

भारत नीति प्रतिष्ठिन

हौज खास, नई दिल्ली– 11016

इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से, इलेक्ट्रानिक, यांत्रिक, फोटो–प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी और ढंग से, प्रकाशक की पूर्व अनुमति के द्वारा नहीं किया जा सकता।

प्रकाशकः
भारत नीति प्रतिष्ठान
डी–51, हौज खास
नई दिल्ली–110016 (भारत)
दूरभाष : 011–26524018
फैक्स : 011–46089365
ई–मल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org

संस्करण : प्रथम, 2011

© भारत नीति प्रतिष्ठान

मूल्य : 35 रूपये मात्र

मुद्रक : भानु प्रिंटर्स, दिल्ली

अनुक्रमाणिका

प्रस्तावना 4

अध्याय–1

पृष्ठभूमि 8

अध्याय–2

क्या होती है शत्रु संपत्ति 14

अध्याय–3

कितनी हैं शत्रु संपत्तियां? 17

अध्याय–4

उर्दू समाचारपत्रों का अभियान 21

अध्याय–5

कौन हैं राजा महमूदाबाद? 27

अध्याय–6

संकीर्णता की राजनीति 30

अनुलग्नक 34

प्रस्तावना

शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 विवादों के घेरे में है। विवाद का एक कारण सर्वोच्च न्यायालय का राजा महमूदाबाद की संपत्ति पर दिया गया एक निर्णय है जिसमें सरकार को कहा गया है कि यह अधिगृहीत संपत्ति राजा के वंशजों को लौटा दे। 32 साल से राजा के वंशजों एवं भारत सरकार के बीच संपत्ति को लेकर मुकदमा चल रहा था। सरकार का हारना पराजय को स्वतंत्र आमंत्रित करने जैसा ही था। सरकार ने जिस प्रकार लचल तरीके से अपने पक्ष को रखा उसने न्यायालय के फैसले को एकपक्षीय बना दिया। इस फैसले की बाद देश के शत्रु संपत्तियों पर दावेदारों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है।* न्यायालय के फैसले के आलोक में भारत सरकार ने 2 जुलाई, 2010 को शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश जारी किया जिसका उद्देश्य न्यायालय के निर्णय को लागू करने से रोकना था। यह अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद जारी हुआ था और इसके लिए विधि एवं न्याय, विदेश और वित्त मंत्रालयों की सलाह भी ली गई थी। अतः सरकार ने इसी अनुरूप एक विधेयक तैयार किया और 2 अगस्त, 2010 को संसद में प्रस्तुत किया। इसे ही शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 2010 के नाम से जाना जाता है। यह विधेयक 2 जुलाई, 2010 को जारी अध्यादेश का स्थाल लेता। लेकिन राजनीतिक प्रतिष्ठान में कुलीनों के बीच इस पर जंग छिड़ गई। किसी नीति पर सहमति या

* लगभग 600 मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय आदेश दे चुका है और आये दिन वहां मुकदमे दर्ज भी हो रहे हैं। इसी तरह मुंबई उच्च न्यायालय में लगभग 500 और सर्वोच्च न्यायालय में करीब 250 मामले लंबित हैं।

असहमति लोकतंत्र में स्वाभाविक है। परंतु जब मंत्रिमंडल के सदस्य ही दबाव समूह का काम करें और फैसले के पक्ष या विपक्ष में नेतृत्व करें तो असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थिति जटिल तब हो गई जब मंत्रिमंडल एवं राजनीतिक प्रतिष्ठान से जुड़े अनेक वरिष्ठ लोगों ने न्यायालय परिसर में भी इस मुकदमे में अहम भूमिका अदा की। गृह मंत्रालय ने अध्यादेश के समाप्त होने से पूर्व इसे कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की और संसद में एक संशोधन प्रस्तुत किया। गृह मंत्रालय का यह रूख उस आम सहमति के अनुकूल था जो शत्रु संपत्ति के संबंध में विभाजन के बाद बना था।

लोकनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हित होता है। यह संकीर्णताओं से ऊपर होता है। न्यायालय या जनमत का हस्तक्षेप इसे जरूर प्रभावित करता है परंतु कार्यपालिका एवं विधायिका से ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के संदर्भ में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में ऐसी, अनेक प्रवृत्तियों की उत्पत्ति हुई है जिनसे लोकनीतियों एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो रहा है। इसी का उदाहरण वर्तमान विवाद है। भारत सरकार के ही दो मंत्री, गृहमंत्री पी. चिदम्बरम एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद, इस विषय पर एक–दूसरे का प्रतिवाद करते रहे। गृह मंत्रालय की दृढता को तोड़ने के लिए जिस राजनीतिक ब्रहामात्र का प्रयोग किया गया वह दशकों से भारत की राजनीति एवं नीति निर्धारकों को कमजोर करती रही है। यह है अल्पसंख्यक हित के नाम पर लोकनीतियों को पुनर्परिभाषित करने के लिए दबाव। यही हुआ शत्रु संपत्ति अधिनियम के संबंध में। कुलीनों ने अपनी राजनीति को जमीन पर उतारकर इसे 'मुस्लिम मुद्दा' बना दिया। कार्यपालिका के विवेक एवं तर्क का स्थान क्रमशः संकीर्णता एवं भावना ने ले लिया। मुस्लिम सांसदों ने एकजुट होकर शत्रु संपत्ति अधिनियिम से जुड़े पक्षों को मुस्लिम विरोधी बताया और राजनीति में वही परंपरागत साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण इस विषय पर भी हो गया।

विभाजन के बाद लाखों लोगों ने भारत–पाक की सीमा लांघी थी। स्वाभाविक है कि लोगों की राष्ट्रीयता भी बदली। ऐसे शरणार्थियों की संपत्तियों को भारत एवं पाकिस्तान की सरकारों ने अधिग्रहण कर Custodian के अंतर्गत कर दिया।* उन लोगों

---

* भारत एवं पाकिस्तान के शरणार्थियों की कृषि भूमि के मूल्य में जमीन–आसमान का अंतर था। भारत के शरणार्थियों की भूमि उपजाऊ थी जबकि पाकिस्तान गए शरणार्थियों की भूमि बंजर थी। वह अंत तीन सौ करोड़ रूपया आंका गया। गैर कृषि चल संपत्ति में भी अंतर 10,000,000,000,000 रूपया था। भारत से आए शरणार्थियों में धनाढ्य लोग थे। जिनके कल–कारखानों एवं बैंक खातों पर जबरन कब्जा किया गया।

को भी पाकिस्तान छोड़ने के लिए बाध्य किया जो ऐसा नहीं चाहते थे। इसी क्रम में भारत में Evacuee Property Act आया था। पाकिस्तान एवं बाद में बांग्लादेश ने शत्रु संपत्तियों को अपनी–अपनी अर्थव्यवस्था के ढांचे में उपयोग कर लिया। भारत में यह व्यवस्था की कमजोर इच्छा–शक्ति ने इसे गैर कानूनी कब्जे एवं किराएदारों के हवाले कर दिया। साठ के दशक तक इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति नहीं माना गया। जो लोग इसे 'मुस्लिम प्रश्न' मानते हैं उन्हें शत्रु संपत्ति का या तो ज्ञान नहीं है या वे जानबूझकर तथ्यों को अनदेखा कर रहे हैं। शत्रु संपत्ति की अवधारणा भारत में 1962 में भारत–चीन युद्ध के बाद आई जब शत्रु राष्ट्र से प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जुड़े सक्रिय लोगों की संपत्ति सरकार ने अधिगृहीत कर लिया। फिर पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ। स्वाभाविक था जो भारत–चीन युद्ध के समय जो हुआ था वही नीति दुहराई इर्ग। तभी 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम आया। राजा महमूदाबाद 1958 में स्वेच्छा से पाकिस्तान गए थे। उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति के तहत अधिगृहीत कर लिया गया। इसे अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक प्रश्न मानना देश की नीति निर्धारण प्रक्रिया को भ्रमित एवं कमजोर करना है। परंतु सरकार ने इसी कमजोरी का परिचय देते हुए अपने ही द्वारा लाए गए पहले विधेयक को निरस्त कर नया विधेयक तैया किया– द्वितीय शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 2010, जो सांप्रदायिक रजानीति के दबाव मे तैया किया गया विधेयक है। नीति का गलत या सही होना उतना दुष्परिणामाकारी नहीं होता है जितना कि संकीर्णतावादी ताकतों के दबाव में उसका निर्माण करना होता है।

राष्ट्रीयता से जुड़ा यह कानून अपरिवर्तनीय होना चाहिए था। न्यायलय ने इसे घसीटकर सांप्रदायिकता की चौहद्दी में ला खड़ा कर दिया है।

इसी प्रश्न पर भारत नीति प्रतिष्ठान ने पिछले कई महीनों से विशेषज्ञों के साथ विमर्श एवं शोध को पुस्तिका का स्वरूप प्रदान किया है। इसमें कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का काम किया गया हैः विवाद का मूल कारण क्या है? अधिनियम के संशोधन के लिए लाए गए दोनों विधेयकों में अंतर क्या है? दोनों विधेयकों के बीच राजनीति कैसे और क्यों कुलीनों के गलियारों से साम्प्रदायिकता के प्रांगण में पहुंची? दुर्भाग्य की

पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में हिन्दू शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति बहुत काम आयी। भारत सरकार ने दोनों देशों के शरणार्थियों की संपत्तियों का मूल्यांकन कर एक न्यायपूर्ण रास्ता निकालने का जो प्रस्ताव रखा उसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। देखें जे. विजयतुंगा द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रिफ्यूजी प्रॉपर्टी, द फारेन रीलेशन्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, पृ. 2–5

बात यह है कि संसद में संयुक्त मताधिकार से चुनकर गए प्रतिनिधियों का ध्रुवीकरण सम्प्रदाय के सवाल पर इस हद तक होने लगा है कि वे सम्प्रदाय विशेष के प्रतिनिधि के रूप में पेश आने में वे सम्मानित भले ही महसूस न करें राजनीति लाभ जरूर देखते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अखबारी समाचारों के अतिरिक्त कोई बौद्धिक बहस संभवतः नहीं हो पाया। प्रतिष्ठान ने इस रिक्तता को भरने का प्रयास किया है। आशा है कि यह हस्तक्षेप पत्र 'राष्ट्रीयता का यक्ष प्रश्न' नीति निर्धारकों एवं बुद्धिजीवियों को इस विषय पर पुनर्चिंतन करने में मदद कर सकेगा।

–प्रो. राकेश सिन्हा

मानद निदेशक, भारत नीति प्रतिष्ठान

I

पृष्ठभूमि

पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जीवन–पर्यन्त मुंबई स्थित अपना पॉश बंगला पाने के लिए संघर्ष करते रहे। इस बंगले को जिन्ना हाउस के रूप में जाना जाता है। उनकी बेटी दीना वाडिया भी इस संपत्ति को पाने में सफल नहीं हो सकी। लेकिन महमूदाबाद के राजा आमिर अली खान के बेटे और मुस्लिमलीग के कोषाध्यक्ष मोहम्मद आमिर खान उर्फ सुलेमान खान, जो जिन्ना के करीबी थे, उन्होंने अपने पिता की संपत्ति को सुप्रीम कोर्ट में 32 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद हासिल कर लिया, जिसे भारत ने शत्रु संपत्ति घोषित कर रखा था।[1] राजा महमूदाबाद की 50 हजार करोड़ से अध्शिक की संपत्ति है। दरअसल, इसी तरह हजारों करोड़ रूपये मूल्य की अन्य शत्रु संपत्तियां भी भारत में हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में खान के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद से ही भारत में शत्रु संपत्ति के मुद्दे पर नया विवाद शुरू हो गया। एक दिलचस्प मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने आगरा शहर के एक तिहाई हिस्से और साथ ही ताजमहल पर हक का दावा करते हुए कुछ दस्तावेज भी पेश किया था। हालांकि 300 वर्ष पुरानी संपत्ति का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। इसी तरह शाहजहांपुर के कुदरत हुसैन, राजा सादात अली (बहराइच), अमीरुद्दोन और इलाहाबाद के राजा डॉ. मोहम्मद ने भी अपनी संपत्ति पर दावा ठोका है। प्राप्त सूचना के अनुसार फिलहाल ये सभी पाकिस्तान में हैं, लेकिन इस संपत्ति को पाने के लिए उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की विभिन्न निचली अदालतों में दावे किये गये हैं। शत्रु संपत्ति कानून 1968 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी शत्रु संपत्ति की देखरेख के लिए

[1]जिन्ना के घर का अधिग्रहण एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1948 के तहत किया गया जबकि राजा महमूदाबाद की संपत्ति कानून 1968 के अंतर्ग आता है।

कस्टोडियन की नियुक्ति की है। यह मामला संसद के पिछले मानसून और शीतकालीन सत्रों के दौरान 2010 में चर्चा में आया, जब केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय माकन ने शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 2010 लोकसभा के मानसून सत्र में पेश किया। इस विधेयक का विभिनन राजनीतिक दलों के मुस्लिम सांसदों ने विरोध किया, जिसका समाजवादी पार्टी, राजद, लोजपा और वाम दलों ने समर्थन किया। लेकिन इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि यूपीए सरकार मुस्लिम सांसदों के दबाव में तुरंत यू–टर्न ले लेगी। शीतकालीन सत्र में यूपीए सरकार ने मुस्लिम सांसदों की मांगो के अनुरूप मूल विधेयक में संशोधन कर नया शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक द्वितीय 2010 किया। हालांकि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के कारण विपक्ष के भारी दबावों में घिरी संप्रग सरकार सदन में कामकाज नहीं हो पाने के कारण शीतकालीन सत्र 2010 में इस पर चर्चा नहीं करा पायी पर इस विधेयक का देश की एक लाख करोड़ की संपत्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

इस विधेयक के बारे में मुस्लिम सांसदों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा गत कई महीनों से राजनैतिक गलियारों एवं मीडिया में अभियान चलाये जाने की वजह से केंद्र सरकार को 2 जुलाई, 2010 को राष्ट्रपति द्वारा जार शत्रु संपत्ति अध्यादेश को निष्प्रभावी बनाने पर विवश होना पड़ा। 2 अगस्त, 2010 को लोकसभा में गृह राज्यमत्री द्वारा प्रस्तुत शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक का सदन में खासा विरोध हुआ, लेकिन इस पर पूरी चर्चा से पहले ही सत्र समाप्त हो गया और सरकार ने भी चुपचाप इसे वापस ले लिया। 2 अगस्त को सदन में शत्रु संपत्ति विधेयक पेश किया गया तो उसका विराध समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था, और उसमें संशोधान की मांग भी की थी। इस पर गृहमंत्री पी. चिंदबरम ने सदन में आश्वासन दिया था कि सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नया संशोधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।[2]

शत्रु संपत्ति कानून 1968 की जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विचार–विमर्श के बाद शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2010 का नया प्रारूप सदन में विचारार्थ पेश किया था। इस नए विधेयक के प्रारूप एवं पुराने अध्यादेश एवं विधेयक में

---

[2] Government will redraw enemy property bill एशियन एज, 31 अगस्त, 2010

काफी अंतर है। राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया, उसमें यह प्रावधान था कि 1968 में जारी मूल शत्रु अधिनियम कानून को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, जबकि वर्तमान संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि 2 जुलाई, 2010 के बाद से अदालतों को इस विधेयक के तहत कस्टोडियन द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई संपत्तियों को मूल मालिकों के उत्तराधिकारियों को वापस करने के बारे में विचार करने का अधिकार नहीं होगा। साफ है कि यह प्रावधान किया गया है ताकि महमूदाबाद के राजा को 50,000 करोड़ की संपत्ति वापस लौटाने का जो निर्देश उच्चतम् न्यायालय ने दिया था उस पर इस नए कानून को कोई प्रभाव न पड़े। इससे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के बाद सरकार ने राजा की उन संपत्तियों को पुनः शत्रु संपत्ति के तहत कस्टोडियन को अपने नियंत्रण में लेने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद सरकार ने इन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ मुस्लिम मंत्रियों एवं सांसदों के कड़े रूख को देखते हुए सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं।

इस संदर्भ में एक खास बात यह है कि सरकार ने शत्रु संपत्तियों को लौटाने के संबंध में निर्णय करने का अधिकारी अदालतों से वापस लेकर अपने हाथ में ले लिया, अब संतुष्ट होने पर सरकार शत्रु संपत्तियों को उनके मालिकों के भारतीय उत्तराधिकारियों को वापस कर सकती है। साफ है कि यह फैसला सरकार ने इसलिए अपने हाथ में रखा है ताकि वे इसका इस्तेमाल अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर सके। इस प्रावधान में यह खतरा अन्तर्निहित है।

संसद में जो पहला संशोधन विधेयक 2 अगस्त, 2010 को पेश किया गया ाि उसमें यह प्रावधान था कि शत्रु संपत्ति कानून के हतत कस्टोडियन ने यदि कोई। संपत्ति अपने नियंत्रण में ले रखा है या ले लेता है तो उससे प्रभावित होने वाला व्यक्ति 120 दिन के भीतर उसके बारे में शत्रु संपत्ति कस्टोडियन के सामने आपत्ति दर्ज करा सकता है। नए संशोधित विधेयक में आपत्ति करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। साफ है कि इस मामले में भी सरकार ने मुस्लिम सांसदों के दबाव के कारण इस तरह का संशोधन किया है। नए विधेयक में पुराने विधेयक की तरह सरकार ने शत्रु संपत्तिके स्थानांतरण को मौखिक वसीयत या मौखिक उपहार के रूप में दिए जाने को मान्यता नहीं दी है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि शत्रु की

नागरिकता को छिपाकर संपत्ति का स्थानांतरण किया गया है या उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अन्य अधिकृत प्राधिकरण कीर अनुमति के बिना या फिर शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को स्थानांतरित किया गया है तो वह वैध नहीं होगा।

द्वितीय संशोधन विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई थी कि सरकार को जो संपत्ति संबंधित उत्तराधिकारियों को वापस लौटानी होगी, उसे अनाधिकृत कब्जे से मुक्त करवाने के बाद वापस लौटाना होगा। इसका लाभ भी सबसे अधिक राजा महमूदाबाद को ही होगा। जिनकी ज्यादातर संपत्तियों पर लोगों या सरकार का कब्जा है। ये संपत्तियां सरकार ने ही लोगों को लीज या किराए पर दी हैं।[3]

नए विधेयक में मौखिक रूप से संपत्ति देने को सरकार ने मान्यता देने से इंकार कर दिया। इसका मुसलमानों द्वारा कड़ा विरोध किए जाने की संभावना है। इस्लामी शदीयत के अनुसार कोई वयस्क व्यक्ति दो गवाहों के सामने किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति देने की घोषणा कर सकता है। शरीयत में इसे 'हब्बा' की संज्ञा दी जाती है।

जहां तक राष्ट्रपति द्वारा 2 जुलाई को जारी अध्यादेश का संबंध है वह मुस्लिम सांसदों के प्रबल विरोध के कारण सकरार ने उसे समाप्त हो जाने दिया। संसद का अधिवेशन समाप्त हो जाने के कारण सदन में प्रस्तुत प्रथम संशोधन विधेयक पर चर्चा न हो सकी। दूसरा विधेयक शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) संसद के शीतकालीन अधिवेशन में प्रस्तुत तो किया गया था। लेकिन 2जी स्पेक्ट्रम मामले पर हुए व्यवधान के कारण संसद का कार्य बाधित रहा। इसलिए इस संशोधित विधेयक पर सदन में चर्चा न हो सकी।[4] राज्यसभा में एस.एस. अहलूवालिया ने यह आरोप लगाया कि अध्यादेश के खिलाफ धुआंधार अभियान के खिलाफ गृहमंत्री अलग–थलग पड़ गए हैं। एक विशेष समुदाय के सांसदों के दबाव के कारण अध्यादेश की जगह लाए जाने वाले विधेयक में भारी फेरबदल किया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि

---

[3] Raja of Mehmoodabad to be biggest beneficiary' टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 अक्टूबर, 2010; Enemy Property Act amended—Raja of Memoodabad to benefit: Chidambaram spars with Khurshid calls him activist इकॉनोमिक टाइम्स 21 अक्टूबर, 2010; Government succumbs: Mehmoodabad Raja wins, दैनिक पायोनियर 21 अक्टूबर, 2010

[4] एक्ट बार्स् ट्रांस्फर बाई ओरल गिरफ ओर विल, हिन्दुस्तान टाइम्स, 20 अक्टूबर, 2010

सांप्रदायिकता को इस मामले में लाया गया है। यह कानून सभी के लिए है। 29 अगस्त, 2010 को एक सांसद मोहम्मद अदीब ने वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्हें यह याद दिलाया कि लगभग 41 सांसदों ने जब यह प्रस्तावित बिल (शत्रु संपत्ति बिल) सदन में पेश किया जाने वाला था तो प्रधानमंत्री से भेंट की थी ओर उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि यह विधेयक सदन में पेश नहीं किया जाएगा और ऐसा ही हुआ।[5] उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि अध्यादेश को स्वतः समाप्त हो जाने दिया जाएगा। मुस्लिम सांसदों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि अध्यादेश को पुनः जारी नहीं किया जाएगा और इसे सरकार ने भी स्वीकार किया। इससे स्पष्ट होता है कि यूपीए सरकार ने इस मामले में अपने रूख में किस कारण से परिवर्तन किया था।

उत्तर प्रदेश जमाएत–ए–इस्लामी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अहमद का कहना है कि हब्बा या मौखिक तोहफा देने की प्रथा मुस्लिम पर्सनल लॉ का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए सरकार द्वारा लाए गए बिल में इसको जो मान्यता देने से इंकार किया गया है वह भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की आजादी दी है कि वह अपनी आस्था एवं धार्मिक विश्वासों के अनुसार आचरण करे। इसलिए सरकार को इस तरह का कानून बनाने का कोई हक नहीं है।[6]

मुस्लिम पर्सनल लॉ की इस व्यवस्था का किस तरह से दुरूपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में एक उदाहरण का उल्लेख करना आवश्यक है। गौतम होटल नामक भवन एक नवाब फिरोजाद्दीन का था जिसे उसने ओ.पी. मेहता नामक एक व्यक्ति को किराए पर दिया था। 1959 में इस नवाब की मौत हो गई। इसके पाकिस्तानी वारिसों ने दिल्ली की एक अदालत से उत्तराधिकारी का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। इस प्रमाणपत्र के आधार पर इन वारिसों ने इस भवन को अपना बताया। मेहता उन्हें किराया देने लगे। 1968 में सरकार ने इसे शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। तब मेहता शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन को किराया देने लगे। 1971 में दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति पीर अब्दुल माजिद ने अदालत में यह दावा किया कि मरने से पूर्व नवाब ने इस संपत्ति को मौखिक रूप से उसे दे दिया है। अदालत ने इस दावे को मान लिया। मगर शत्रु संपत्ति

---

[5] आई.ए.एन.एस., 27 अगस्त, 2010

[6] Enemy Property Bill: unraveling its background, द मिली गजट 16 सितंबर, 2010

के कस्टोडियन ने इसे अदालत म चुनौती दी। गत 40 वर्षों से यह विवाद अदालत में चल रहा है।[7]

देश का विभाजन सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं हुआ। इस प्रश्न पर सैद्धांतिक बहस चली थी। कांग्रेस का व्यापक संपर्क कार्यक्रम (Mass Contact Programme) इसका उदाहरण है। द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस ने सिरे से नकारा था। स्वतंत्रता आंदोलन से धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का संकल्प विभाजन की त्रासदी से अप्रभावित रहा। इसके बावजूद द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार पर बने पाकिस्तान को स्वेच्छा से जिन लोगों ने स्वीकार किया वे पाकिस्तान गए। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश के जमींदार, सामंत लोग के सक्रिय सदस्य या सहानुभूति रखने वाले लोग थे। वे वहां रच बस गए। उनकी छोड़ी हुई संपत्ति के अधिकार पर विभाजन के साठ दशक बाद भी बहस चल रही है।

□

[7] From a Hotel: the story of a Nawab and his Tenant, संडे एक्सप्रेस, 24 अक्टूबर, 2010

II

क्या होती है शत्रु संपत्ति?

प्राचीन काल में जब विजेता किसी क्षेत्र पर कब्जा करता था तो वहां की सरकार और नागरिकों की संपत्ति पर भी अधिकार कर लेता था। तब इसे युद्ध में लूटी गई संपत्ति का नाम दिया जाता था। इसे कानूनी दृष्टि से विजेता की संपत्ति माना जाता था, लेकिन चौथे जेनेवा कनवेंशन की धारा 147 में इसका निषेध किया गया। इससे आधुनिक काल में शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन की नियुक्ति की परंपरा की शुरूआत हुई। इसके तहत जब दो देशों के बीच युद्ध की घोषणा होती है तो शत्रु देश की सरकार या नागरिकों की जा चल–अचल संपत्ति दूसरे देश में होती है, उसे वहां की सरकार अपने अधिकार में ले लेती है और उसके प्रबंधन के लिए एक कस्टोडियन की नियुक्ति करती है। इसकी शुरूआत यूरोप के कई देशों में हुई। प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने के बाद 1919 में ब्रिटेन ने शत्रु संपत्ति कानून के तहत जर्मनी, पौलैंड, हंगरी, डेनमार्क आदि देशों की सरकारों एवं नागरिकों की ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न देशों जो चल–अचल संपत्ति थी उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। यही कदम 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी, इटली और जापान के साथ युद्ध की घोषणा के बाद भी उठाया था।

भारत में 1968 का जोर शत्रु संपत्ति एक्ट लागू किया गया, वह मोटे तौर पर 1939 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित शत्रु संपत्ति कानून के मॉडल पर ही है। इन दोनों कानूनों में शत्रु संपत्ति की देखभाल का काम वाणिज्य मंत्रालय को सौंपा गया था। हालांकि अब इस कानून म संशोधन कर इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। ब्रिटिश कानून में यह व्यवस्था थी कि कस्टोडियन द्वारा जब्त की गई शत्रु संपत्ति से प्राप्त धनराशि को जंग की क्षति पूर्ति एवं युद्ध के कारण बेघर हुए व्यक्तियों के पुनर्वास पर खर्च किया जाएगा। मगर भारतीय कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारतीय कानून में कस्टोडियन के अतिरिक्त उप कस्टोडियन, सहायक कस्टोडियन के पदों की व्यवस्था भी नहीं है। भारतीय कानून में यह भी व्यवस्था है कि यदि इस कानून के लागू होने या इससे पूर्व कोई व्यापारी संस्थान किसी अन्य व्यक्ति को शत्रु संपत्ति स्थानांतरित कर देता है तो सरकार उस व्यक्ति को जिसे वह संपत्ति स्थानांतरित की गई है, उसे सफाई

पेश करने का मौका देती है। इसके बाद कस्टोडियन संतुष्ट न होने पर इस स्थानांतरण को अवैध घोषित कर उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकता है। कस्टोडियन को इस बात का भी अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को तलब कर उससे शत्रु संपत्ति से संबंधित दस्तावेज या अन्य जानकारी मांग सकता है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भारत–चीन युद्ध के दौरान 1962 में और 1971 में भारत–पाक युद्ध की घोषणा के बाद भी भारत सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत चीनी नागरिकों एवं चीन सरकार के अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार एवं पाकिस्तानी नागरिकों की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। यह चीन एवं पाकिस्तान द्वारा इसी तरह की गई कार्रवाई के जवाब में उठाया गया कदम था।

पाकिस्तान सरकार ने 1965 और 1971 के युद्ध में नियंत्रण में ली हुई भारतीय संपत्ति को बाद में बेच दिया था जबकि भारत सरकार अभी तक इस संबंध में अपनी कोई नीति तय नहीं कर सकी है। यह शत्रु संपत्ति कस्टोडियन के नियंत्रण में ही चली आ रही है। जहां तक बांग्लादेश का संबंध है, पाकिस्तान सरकार के निर्देश पर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में स्थित भारत सरकार एवं भारतीय नागरिकों की जिस संपत्ति को पाकिस्तान सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया था। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भले ही बांग्लादेश सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम रद्द कर दिया हो मगर उसने एक अन्य कानून निहित संपत्ति कानून (Vested Property Act) लाकर इस संपत्ति को अब तक सरकारी नियंत्रण में ही रखा है। अधिगृहीत संपत्ति को भारत सरकार या भारतीय नागरिकों को वापस लौटाने के लिए बांग्लादेश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

प्रो. अबू बरकत ने यह दावा किया है कि इस कानून के तहत हिंदुओं की इक्कीस लाख एकड़ भूमि पर इस काले कानून के तहत बांग्लादेश सरकार ने अवैध कब्जा कर रखा है।[8] पुरानी अवामी लीग सरकार ने इस कानून को हालांकि 2001 में रद्द कर दिया था मगर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद रद्द किए गए कानून को पुनः बहार कर दिया गया है। निहित संपत्ति कानून विरोध आंदोलन के नेता

[8] वन वर्ल्ड (ढाका से प्रकाशित), 15 जून, 2004

कमल लोहानी इसे काला कानून की संज्ञा देते हुए कहते हैं– 'इसका शिकार वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया गया है'।

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि निष्क्रांत संपत्ति यानी (Evaquee Property) एवं शत्रु संपत्ति दोनों के बीच भारी अंतर है। देश विभाजन के समय जो हिंदू–सिख पाकिस्तान में अपनी चल–अचल संपत्ति छोड़कर चले आ थे या भारत में अपनी चल–अचल संपत्ति छोड़कर जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे उनकी संपत्तियों को दोनों देशों की सरकारों ने Evaquee Property घोषित कर अपने नियंत्रण में लिया था। भारत सरकार ने इस संदर्भ में इस Evaquee Property का प्रबंधन करने के लिए निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम (Evacuee Property Act) पारित किया था। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जो मुसलमान 14 मार्च, 1947 से लेकर 18 अक्टूबर, 1949 तक अपनी संपत्ति भारत में छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं उनकी संपत्ति सरकार द्वारा नियुक्त कस्टोडियन अपने नियंत्रण में ले सकता है।

1950 में हुए नेहरू–लियाकत समझौते में यह प्रावधान किया गया था कि 18 अक्टूबर, 1949 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत और पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देश में जाता है तो वह उस देश में छोड़ी हुई अपनी संपत्ति को मनमाने ढंग से बेच सकता है। कस्टोडियन को उसकी संपत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार नहीं होगा। इस समझौते का लाभ भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों ने अपनी संपत्ति को मनमाने ढंग से बेचने के लिए उठाया जबकि पाकिस्तान सरकार ने वहां से आने वाले हिंदुओं को अपनी संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं दी। इस तरह से नेहरू–लियाकत समझौता एकपक्षीय ही रहा।

शत्रु संपत्ति कानून के तहत भारत एवं पाकिस्तान की सरकारों ने जो संपत्ति अपने कब्जे में ली थी वह दोनों देशों में युद्ध की घोषणा के बाद भारतीय एवं पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति थी। इसी संपत्ति पर आज विवाद है।

□

III

कितनी हैं शत्रु संपत्तियां?

देश में उन संपत्तियों की संख्या कितनी है जिनको सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर अपने नियंत्रण में रखा है? इनका मूल्य क्या है? इस संबंध में भिन्न–भिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। इसका मुख्य कारण शायद यह है कि अभी हजारों संपत्तियां ऐसी हैं, जिन्हें शत्रु संपत्ति का कस्टोडियन अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, मगर उन पर काबिज लोग इन मामलों को न्यायालयों में ले गए हैं। इन विवादित संपत्तियों की संख्या के बारे में दावे से कुछ कहना कठिन है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 15 अगस्त, 2010 के अंक में एक समाचार छापा था, जिसका शीर्षक है– 'Delhi High Court curbs Enemy Property Act ordinance enforcement' जिसमें शत्रु संपत्तियों की संख्या 20 हजार बताई गई है। डीएनए नामक अखबार ने 31 जुलाई, 2010 के अंक में एक समाचार प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक है– 'Delhi land mafia gobbles up 200 enemy properties' जिसमें कहा गया है कि भू–माफियाओं ने 200 शत्रु संपत्तियों पर जबरन कब्जाा कर रखा है। इसी तरह से नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्र स्टेट्समैन ने 19 जनवरी, 2010 के अंक में एक समाचार छापा, जिसका शीर्षक है– 'Ban on registry of enemy properties' इस समाचार में दिल्ली के राजस्व मंत्री राजकुमार चौहान ने यह दावा किया है कि राजधानी में शत्रु संपत्ति के 200 प्लॉट ऐसे हैं जिन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया है कि वह शत्रु संपत्ति के इन प्लाटों पर भवन निर्माण करने की अनुमति न दे। उन्होंने यह भी कहा है कि कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर इन संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। इन संपत्तियों के बारे में जांच करने के लिए मुंबई स्थित शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन के कार्यालय से अनुरोध किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 18 जनवरी, 2010 के अंक में एक अय समाचार

प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक है– 'Government bans sale of land left behind during partition' इस समाचार में पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई शत्रु संपत्ति की संख्या 700 बताई गई है।

संसद में दी गई सूचनाओं के अनुसार इस समय जो संपत्तियां शत्रु संपत्ति कस्टोडियन के पूर्ण रूप से नियंत्रण में हैं उनकी संख्या 2186 बताई जाती है। इनमें से सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं। उनकी संख्या 1468 बताई गई है। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। यहां ऐसी संपत्तियों की संख्या 315 है। दिल्ली म ऐसी शत्रु संपत्तियां 66, गुजरात में 63, बिहार में 40, गोवा में 35, मध्य प्रदेश में 29, आंध्र प्रदेश में 21, केरल में 24 और शेष अन्य राज्यों में है। इन संपत्तियों के लिए हालांकि अनेक दावेदार मैदान में हैं। मगर सबसे बड़ा दावेदार महमूदाबाद के राजा आमिर मोहम्मद खान हैं। इनकी संपत्तियों की संख्या 700 से अधिक बताई जाती है।

हालांकि सरकार उन संपत्तियों के मूल्य के बारे में मौन धारण किए हुए है। मगर जानकारी सूत्रों का कहना है कि इस समय जिन शत्रु संपत्तियों को वापस लौटाने की तैयारी हो रही है, उनका मूल्य आज एक लाख करोड़ से सवा लाख करोड़ के बीच है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति को खरीदने–बेचने का धंधा करने वाले एजेंटों के अनुसार अकेले राजा महमूदाबाद को जो संपत्तियां सरकार ने लौटाई हैं, उनका मूल्य 40 हजार करोड़ से 50 हजार करोड़ के बीच बताया जाता है। इनमें शामिल हैं महमूदाबाद स्थित राज परिवार का भव्य किला, जिसका मूल्य 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच आंका गया है। नैनीताल का विख्यात मैट्रोपोल होटल एक अंग्रेज ने 1880 में बनवाया था, जिसे वर्तमान राजा के दादा ने 1920 में खरीदा था। इसकी कीमत अनुमानतः 200 से 250 करोड़ रूपये के बीच है। लखनऊ का बहुचर्चित भवन बटलर पैलेस भी सुलेमान मियां के दादा ने 1919 में बनवाया था। इसकी कीमत भी 500 करोड़ के लगभग बताई जाती है। इसके अतिरिक्त लखनऊ का सबसे बहुमूल्य व्यावसायिक केंद्र हजरतगंज के आधे से अधिक भवन में भी महमूदाबाद परिवार की संपत्ति है। इनमें महमूदाबाद मेंशन और लारी बिल्डिंग शामिल हैं। लखनऊ का बटलर पैलेस भी राजा महमूदाबाद का है। इस भवन में सरकारी अधिकारियों का आवास है। इसे भी खाली करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वे 80 एकड़ भूमि के भी स्वामी हैं, जिसमें एक चीनी मील स्थित है, जबकि 30 एकड़ जमीन में एक कपड़ा मील और 50 एकड़ भूमि में जवाहर लाल नेहरू

पॉलिटेक्निक का भवन है। राज परिवार पांच जिलों का भी स्वामी है। लखनऊ के अतिरिक्त सीतापुर में भी राज परिवार की विपुल संपत्ति है। जिला अधिकारी के 17 एकड़ में फैले हुए आवास के अतिरिक्त सात एकड़ में स्थित पुलिस कप्तान की कोठी और 13 एकड़ में फैला हुआ मुख्य चिकित्सा अधिकारी का बंगला भी इसी परिवार की संपत्ति है। इसके अतिरिक्त शहर के सिविल लाईन क्षेत्र की अनेक कोठियों और 70 एकड़ भूमि के भी वे स्वामी हैं। लखीमपुर खिरी नगर में स्थित 60 एकड़ भूमि भी उनकी है, जबकि बाराबंकी में भी 40 एकड़ भूमि उनकी बताई जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों में भी उनके कई बंगले हैं।

साप्ताहिक पत्रिका 'वीक' के 3 अक्टूबर, 2010 में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई के किशोरी कोर्ट बंगले को लेने के लिए एक दर्जन से अधिक दावेदार अदालत की शरण में गए हैं। इन दावेदारों इन दावेदारों में कानपुर का शमीम अहमद नामक एक व्यक्ति भी शामिल है। जिसने इस संदर्भ में 6 मई, 2010 को केंद्रीय गृहमंत्री को एक ज्ञापन भो भेजा था। इस ज्ञापन के अनुसार इस बंगले का क्षेत्रफल 1650 गज है। इसकी दो मंजिलें हैं और फ्लैट हैं।

उसने यह भी दावा किया है कि कुछ लोग धोखे से इस भवन पर अपना दावा कर रहे हैं। दिल्ली के एक व्यक्ति डॉ. अनीशुल हक का यह दावा है कि 1962 में पाकिस्तान जाने से पूर्व उनके संबंधी छह भवन उसके पिता को उपहार स्वरूप दे गए थे। उसका यह भी दावा है कि 1992 में इन रिश्तेदारों ने पाकिस्तान से दिल्ली में आकर उनके पक्ष में एक पॉवर आफ अटार्नी भी बनवाई थी। मेल टुडे ने 16 जनवरी, 2010 के अंक में एक समाचार प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है– 'Land mafia in Delhi' जिसमें उसने दिल्ली सरकार के प्रवक्ता का उल्लेख करते हुए कहा है कि दिल्ली में 300 से अधिक शत्रु संपत्तियां ऐसी हैं जिनका विवाद चल रहा है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार इन शत्रु संपत्तियों पर जो लोग अपनी मल्कियत जता रहे हैं उनकी ओर से जो दस्तावेज पेश किये जा रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है क्योंकि वे पंजीकृत नहीं हैं और उनका कोई रिकॉर्ड सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है। इन अधिकारियों का यह भी कहना है कि ये संपत्तियां दस्तावेजों के आधार पर कई बार बिक चुकी हैं। साप्ताहिक वीक (3 अक्टूबर, 2010) में प्रकाशित 'Bitter Reality' नामक समाचार के अनुसार पश्चिम बंगाल में जो 360 शत्रु संपत्तियां

कोलकाता में स्थित हैं, इनमें से अधिकांश संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं और कई प्लॉटों पर कब्जा कर वहां मॉल बनाए जा चुके हैं। पाकिस्तान के एक राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा के मुर्शिदाबाद स्थित भवन पर भी लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम नेताओ का आरोप है कि अधिकारियों ने अधिकांश संपत्ति अवैध रूप से बेच दी है और उससे प्राप्त होने वाली धनराशि खुद हड़प गए। इन संपत्तियों से संबंधित सारा रिकॉर्ड तहस–नहस कर दिया है। केवल खानापूर्ति के लिए कुछ ही भवनों को शत्रु संपत्ति रिकॉर्ड में घोषित किया गया है। यही कहानी देश के अन्य राज्यों और नगरों की भी है। संडे एक्सप्रेस 24 अक्टूबर, 2010 के अंक में एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक है– 'Three Plots of land and a missing begum' इस समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कई शत्रु संपत्तियां आयशा बेगम के पक्ष में पावर आफ अटार्नी के बल पर माफिया गिरोहों के कब्जे में हैं। कोई इस बात को नहीं जानता कि यह आयशा बेगम कौन है? और कहां रहती है? उनके पक्ष में जिन लोगों ने पाकिस्तान जाने से पूर्व पॉवर ऑफ अटार्नी बनवाई थी वे कौन थे? ऐसी ही एक संपत्ति पर एक कॉलेज चल रहा है। इस कॉलेज को आयशा बेगम ने यह संपत्ति लीज पर दी है। आयशा बेगम के ऐसे चार फार्म हैं जिनका मूल्य एक अरब रूपए से भी अधिक बताया जाता है। अधिकारियो का कहना है कि यह पॉवर ऑफ अटार्नी फर्जी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ऐसे लगभग 600 मामले लंबित हैं। वहां के एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि अधिकांश मामलों के कागज फर्जी हैं। पाकिस्तान से लोग आते हैं। यहां 10–15 साल रहते हैं। फिर भारतीय नागररिकता लेकर अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने के लिए न्यालयालय पहुंच जाते हैं।

☐

IV

उर्दू समाचारपत्रों का अभियान

राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के बाद प्रशासन ने महमूदाबाद के राजा की उन संपत्तियों को पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जो कि 2005 में राजा को सरकार ने अदालत के निर्देश पर लौटाई थी।

इसके बाद राजा आमिर मोहम्मद खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस अध्यादेश के खिलाफ एक याचिका दायर की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सरकार न्यायपालिका को पंगू बनाने का प्रयास कर रही है। उच्चतम न्यायालय के आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए इस अध्यादेश को जारी किया गया है। इसके साथ ही राजा ने राजनीतिक स्तर पर भी अपनी गतिविधियां तेज कर दीं। इसके बाद राजा और उसके समर्थक दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय हो गए। सभी राजनीतिक दलों से संबंधित 45 मुस्लिम सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री पी. चिदंबरम से भेंट की और उनसे यह अनुरोध किया कि सरकार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को फौरन वापस ले। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद एवं राज्यसभा के उपाध्यक्ष के.रहमान खान ने किया। उर्दू समाचार पत्रों ने प्रसन्नता जाहिर की है कि देश के मुस्लिम नेताओं ने एकजुट होकर शत्रु संपत्ति अधिनियम की जंग जीत ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्ति अध्यादेश को सदा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस तरह से देश के विभिन्न भागों में रहने वाले मुसलमानों को 50 हजार करोड़ की संपत्ति वापस मिल जाएगी जो कि उनके पूर्वजों के पाकिस्तान चले जाने के बाद सरकार ने शत्रु संपत्ति कानून के तहत अपने कब्जे में ले ली थी। दिल्ली से प्रकाशित उर्दू समाचार पत्र दैनिक 'हमारा समाज' ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि एनेमी प्रोपर्टी एक्ट पर बीजेपी कितना भी विरोध कर ले इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 45 मुस्लिम सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल और तीन केंद्रीय मुस्लिम मंत्रियों ने गृहमंत्री पी. चिदंबरम से मिलकर यह शिकायत की थी कि केंद्र सरकार ने राजा महमूदाबाद के बारे में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पंगू बनाने के लिए 2 जुलाई, 2010 को जो अध्यादेश जारी किया है वह फौरन वापस लिया जाए क्योंकि यह

मुस्लिम विरोधी है। दैनिक सहाफत ने 25 अगस्त के अंक में एक समाचार प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक है– 'सरकार का मुस्लिम विरोधी चेहरा बेनकाब'। इस समाचार में यह दावा किया गया है कि चिदंबरम ने शत्रु संपत्ति अध्यादेश वापस लेने से इंकार कर दिया है, इससे कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। इसके बाद इन मुस्लिम सांसदों ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की थी मगर उनसे भी सिर्फ आश्वासन ही मिला। उन्होंने इस संदर्भ में कोई ठोस कदम उठाने का भरोसा नहीं दिया, इसलिए सांसदों को सोनिया गांधी के दरबार में फरियाद करनी पड़ी। समाचार पत्र ने यह दावा किया है कि इस मुलाकात के बाद राज्यसभा के उपाध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता के. रहमान खान ने संवाददाताओं को बताया कि यह अध्यादेश मुस्लिम विरोधी है। उनका यह भी तर्क था कि अपने ही देश के नागरिकों को शत्रु करार देना और उनकी संपत्ति पर शत्रु संपत्ति की आड़ में कब्जा करना सरकार की मुस्लिम विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ने कथित शत्रु संपत्तियों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को बेदखल किया तो इससे देश के मुसलमान कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे और इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो मुस्लिम विरोधी पार्टियां शत्रु संपत्ति अध्यादेश का समर्थन कर रही है, वे मुसलमानों को कांग्रेस से दूर करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजा महमूदाबाद के मामले में जो फैसला दिया है, उसका लाभ उन हजारों मुसलमानों को मिलना चाहिए जिनकी जायदादों पर सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम की आड़ में जबरन कब्जा कर रखा है। रहमान खान ने कहा कि सरकार इस बात पर रजामंद हो गई है कि शत्रु संपत्ति अध्यादेश पर आधारित बिल अब संसद में पेश नहीं किया जाएगा और इसे स्वतः ही समाप्त होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस देश में जो मुसलमान देश विभाजन के बाद रह रहे हैं उन्हें शत्रु की संज्ञा देना सर्वथा निंदनीय है। 'हमारा समाज' ने 28 अगस्त को एक अन्य समाचार में राजा महमूदाबाद की प्रेस कांफ्रेंस का उल्लेख करते हुए कहा कि राजा मोहम्मद आमिर खान ने दिल्ली में आयोजित एक सवादाता सम्मेलन में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गृहमंत्री जो अध्यादेश लाए हैं उसकी वजह से न्यायपालिका, संविधान और लोकतंत्र की जड़ें खोखली हो गई हैं। सरकार हिंदुस्तानी मुसलमानों को उनकी पूर्वजों की संपत्ति से वंचित करना चाहती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 1981 में श्रीमती

इंदिरा ने यह आश्वासन दिया था कि जो लोग इन कथित शत्रु संपत्तियों पर काबिज हैं उन्हें उनसे बेदखल नहीं किया जाएगा।

साप्ताहिक नई (उर्दू) दुनिया ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश के हजारों मुसलमानों को उनकी संपत्ति वापस मिलने की जो आशा पैदा हुई थी वह मिट्टी में मिल गई है। सवाल यह है कि हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मुसलमानों को उनकी संपत्तियां वापस करने के लिए तैयार नहीं है तो वह मुसलमानों के साथ इंसाफ की किस मुंह से बात करती है? क्या वह मुसलमानों के लिए वक्फ की अरबों–खरबों की वह संपत्ति वापस करने के लिए तैयार है जिस पर उसने जबरन कब्जा कर रखा है। सवाल यह भी है कि मुसलमानों को कुछ देना हो तो कदम–कदम पर झूठे फैसले आड़े आ जाते हैं, लेकिन जब कभी कोर्ट का कोई फैसला किसी मुसलमान के पक्ष मे आ जाता है तो ऑर्डिनेंस जारी कर मुसलमानों को उसके लाभ से वंचित कर दिया जाता है। अगर पी. चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करवाने के लिए हठ कर रहे हैं तो यह समझा जा सकता है कि उनकी नीयत और सोच क्या है? वे दरअसल उन ताकतों की गोद में खेल रहे हैं जो कि कस्टोडियन की मिलीभगत से मुसलमानों की जायदाद पर ऐश कर रहे हैं और एनेमी प्रोपर्टी एक्ट की आड़ में मुसलमानों की अरबों–खरबों की जायदाद पर काबिज हैं। उनका तर्क था कि यह अध्यादेश मुस्लिम विरोधी है और अगर इसे वापस न लिया गया तो इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम होंगे जो कि मुस्लिम मतदाताओं को सदा के लिए कांग्रेस से दूर कर देंगे।[9]

अध्यादेश वापस लेने की मांग करने वालों में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, लोकजन शक्ति पार्टी के राम विलास पासवान के साथ–साथ वामदलों के नेता भी शामिल थे।

कहा जाता है कि मुस्लिम सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने अध्यादेश को वापस लेने के संबंध में कोई आश्वासन देने से साफ इंकार कर दिया।[10] गृहमंत्री से निराश होकर ये मुस्लिम सांसद प्रधानमंत्री के दरबार में गए। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि संसद के शीतकालीन

[9] मुसलमानों की जायदाद दुश्मन की जायदाद (संपादकीय), नई दुनिया, (उर्दू साप्ताहिक) 23 अगस्त, 2010
[10] उर्दू दैनिक सहाफत, दिल्ली, 1 अगस्त, 2010

अधिवेशन में इस संदर्भ में कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अध्यादेश को संसद में विधेयक के रूप में पेश नहीं किया जाएगा, इससे वह स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

ज्ञातव्य है कि संसदीय नियमों के अनुसार यदि राष्ट्रपति द्वारा जारी किसी अध्यादेश का संसद द्वारा 6 महीने के भीतर अनुमोदन नहीं किया जाता तो वह स्वतः ही अप्रभावी हो जाता है।

संसद में भी इस मामले को 30 अगस्त को विशेष उल्लेख के माध्यम से लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने उठाया। उन्होंने इस बिल को खतरनाक बताते हुए कहा कि यह मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने कहा कि उच्चत न्यायालय ने जो शत्रु संपत्ति के बारे में निर्णय दिया है उसमें चार मुख्य बिंदू हैं। इनमें से पहला यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह शत्रु नहीं हो सकता। संविधान की धारा 2ए, 2बी और 2सी के तहत उसकी जायदाद शत्रु की संपत्ति नहीं हो सकती। दूसरा यह है कि कस्टोडियन सिर्फ देखभाल का कार्य कर सकता है, मालिक नहीं हो सकता है। तीसरा न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कस्टोडियन ने जिन लोगों की जायदाद किराए पर दी है उनको खाली करवाकर वारिस को आठ हफ्तों में वापस करानी होगी। चौथा, अदालत के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में 1800 मुसलमानों को फायदा हुआ है लेकिन यह बिल लाकर सरकार मुसलमानों का हक छीनना चाहती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे मुसलमानों में हीनता की भावना पैदा होगी जो कि इस देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए सही नहीं है। काग्रेस सरकार मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें उनकी जायदाद से बेदखल करने के लिए यह बिल ला रही है। संसदीय कार्यमंत्री पवन कुमार बंसल ने सफाई दी है कि सरकार सलमान खुर्शीद एवं अन्य कई सांसदों की सलाह से इस बिल में संशोधन कर रही है।

उत्तर प्रदेश से निर्वाचित कांग्रेस समर्थक निर्दलीय सदस्य मोहम्मद आदीब ने वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी को एक पत्र 19 अगस्त, 2010 को लिखा जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को शत्रु संपत्ति से संबंधित कोई विधेयक सदन में पेशन नहीं करना चाहिए और अध्यादेश को स्वतः निष्प्रभावी हो जान देना चाहिए। आदीब ने अपने पत्र में चेतावनी दी कि ”अगर इस विवादित बिल को सदन में प्रस्तुत किया गया तो उत्तर

प्रदेश में कांग्रेस ने जो भी अच्छा काम किया है उस पर पानी फिर जाएगाख और इस विवादित बिल को रोकने का श्रेय मुलायम सिंह आदि को चला जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर सदन में यह बिल पास हो गया तो अगले दस वर्षों तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगी।

साफ है कि कांग्रेस ने मुस्लिम सांसदों की चेतावनी को पूरी गंभीरता से लिया और सदन के शीतकालीन अधिवेशन में शत्रु संपत्ति से संबंधित कोई संशोधित विधेयक पेशन नहीं किया और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश में स्वतः निष्प्रभावी होने दिया। इसी दौरान संसद का अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

उर्दू समाचार पत्रों ने इस बात पर आपत्ति की है कि इस कानून को शत्रु संपत्ति कानून का नाम क्यों नहीं दिया गया? दैनिक सियासत ने इस बात पर आपत्ति व्यक्ति की है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को शत्रु की संज्ञा कैसे दी जा सकती है?[11] प्रश्न यह पैदा होता है कि पाकिस्तान ने जब दो बार विधिवत भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो उसके नागरिकों को शत्रु के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? खास बात यह है कि देश के विभाजन के काफी देर बाद जो लोग जानबूझकर भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए उन्हें भारत का नागरिक कैसे कहा जाए? यह तो माना जा सकता है कि देश के विभाजन के समय अपने जान व माल की रक्षा के लिए लोगों को मजबूर होकर भारत से जाना पड़ा हो, मगर जब भारत में पूरी तरह से शांति स्थापित थी तो ऐसी स्थिति में यदि महमूदाबाद के राजा 1957 में पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें भारत के प्रति निष्ठावान कैसे कहा जा सकता है? ऐसे लोगों की वारिसों को उनकी संपत्ति लौटाकर एक गलत परंपरा स्थापित की जा रही है। पाक्षिक मिली गजट ने 16 सितंबर, 2010 के अंक में एनेमी प्रोपर्टी बिल लेख में इस बात पर आपत्ति प्रकट की है कि शत्रु संपत्ति के बारे में निर्णय करने का अधिकार देश की अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। पाक्षिक का कहना है कि यह प्रावधान भारतीय संविधान की धारा 226 खिलाफ है। इस धारा में न्यायालय को सरकार के खिलाफ भी रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसी समाचार पत्र ने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है कि सरकार न्यायालय द्वारा समीक्षा के बिना शत्रु संपत्ति को चाहे तो बेच सकती है. इससे स्पष्ट है कि इस संपत्ति की मालिक सरकार है, वे भारतीय नहीं, जिन्हें यह

[11] दैनिक सियासत, हैदराबाद (संपादकी), 25 अक्टूबर, 2010

संपत्ति उत्तराधिकार में प्रापत हुई थी, जबकि 1968 के मूल कानून में यह कहा गया है कि शत्रु संपत्ति अस्थायी रूप से सरकार के नियंत्रण में है, जब "शत्रु देश और उसके नागरिक का शत्रु होने का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो इसके बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है। नए कानून में पब्लिक प्रेमाइसेय एक्ट में पब्लिक प्रापर्टी माना गया है जो कि मूल एक्ट की भावना के खिलाफ है।

☐

V

कौन हैं राजा महमूदाबाद?

जिस व्यक्ति के कारण सरकार को शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन करने पर विवश होना पड़ा उनका नाम राजा आमिर मोहम्मद खां है। वे अवध के सबसे बड़े ताल्लकुदारों में गिने जाते हैं।

कहा जाता है कि इस वंश के पूर्वज काजी नसरुल्ला थे, जो कि बगदाद से भारत आए थे। वे मुहम्मद बिन तुगलक के एक सिपाहसला थे, जिसने उन्हें अवध में जागीर अदा की थी। इनके पूर्व ने हेमू के साथ हुए युद्ध में अकबर की सहायता की थी और पुरस्कार स्वरूप इन्हें नवाब की पदवी प्रदान की गई थी। नवाब बिजाद खान ने महमूदाबाद रियासत की स्थापना की थी। महमूदाबाद के वर्तमान कथित राजा यह दावा करते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनके पूर्वजों ने बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। मगर यह दावा इसलिए सच प्रतीत नहीं होता क्योंकि अंग्रेजों ने विजय प्राप्ति के बाद महमूदाबाद की जागीर जब्त करने के बजाय उन्हें और जागीरें प्रदान की थीं। इसके अतिरिक्त उन्हें लखनऊ में कैसर बाग में स्थित नवाब वाजिद अली शाह का महल तोहफे में दिया जो कि आज महमूदाबाद हाऊस के नाम से विख्यात है। इससे साफ है कि 1857 में महमूदाबाद के राज परिवार ने अंग्रेजों की सहायता की थी। वर्तमान कथित राजा के दादा मोहम्मद अली खान मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले उपकुलपति थे उन्होंने मुस्लिम लीग के तीन अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की थी।

उनके बेटे आमिर अहमद खान पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के विश्वस्त सहयोगियों में थे। वे कई वर्षों तक मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष भी रहे। पाकिस्तान बनाने के आंदोलन में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। 1957 में वे पाकिस्तान चले गए मगर वहां के शासकों से उनकी नहीं बनी। इसलिए वे लंदन चले गए। वहीं 1973 में उनकी मृत्यु हुई। 1965 में भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत उनकी संपत्ति अपने नियंत्रण में ले ली थी। राजा की दो पत्नियां भी थीं।

राजा साहब खुद तो पाकिस्तान चले गए मगर अपनी एक बेगम कनीज आब्दी एवं एक पुत्र मोहम्मद आमिर खान को भारत में ही छोड़ गए यही वर्तमान राजा हैं। इन्होंने एक हिंदू महिला विजया से निकाह किया। राजा साहब काफी तेज व्यक्तियों में माने जाते हैं। 15 साल तक वे चुप रहे इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया और नेहरू परिवार के साथ अपनी नजदीकियों को कैश किया। 1980 में उन्होंने अपनी संपत्ति की वापसी के लिए प्रयास तेज किए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह पेशकश की कि भारत सरकार उन्हें कस्टोडियन द्वारा ली गई संपत्ति में से एक चौथाई भाग वाप करने के लिए तैयार है, मगर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।

1981 में राजा साहब ने संपत्ति की वापसी के लिए लखनऊ की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था जिसे वे जीत गए. हाईकोर्ट म वे केस हार गए। इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील की। उनके वकील वर्तमान केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी थे। अदालत में कुछ किराएदारों ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इनकी ओर से अरूण जेटली और राम जेठमलानी भी पेश हुए। वर्तमान राजा के एक सौतेले चाचा ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इसकी ओर से वकील पी. चिदंबरम थे। कहा जाता है कि इस वादी ने जो दस्तावेजें पेश किये थे वे फर्जी थे। इसलिए उसने बाद में अपनी याचिका वापस ले ली।

2005 में उच्चतम न्यायालय ने राजा आमिर मोहम्मद के पक्ष में अपना निर्णय दिया। इस निर्णय के कारण सरकार को वह संपत्ति राजा को वापस लौटानी पड़ी जो कि शत्रु अधिनियम कानून के तहत कस्टोडियन ने अपने नियंत्रण में ली थी।[12]

इस फैसले का लाभ उठाने के लिए अनेक लोगों ने शत्रु अधिनियम के तहत कस्टोडियन द्वारा ली गई संपत्ति की वापसी के लिए अदालत की शरण लेनी शुरू कर दी। इस पर दो जुलाई, 2010 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि शत्रु संपत्ति कानून के तहत कस्टोडियन अपने नियंत्रण में लेता है तो उसे अदालत में चुनौती नहों दी जा सकता। बाद में संसद में अक्टूबर में प्रस्तुत विधेयक नंबर 2 में यह संशोधन किया गया कि शत्रु संपत्ति अधिनियम के बारे में

[12] सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूनियन आफ इंडिया वर्सेस राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खां, सिविल अपील नंबर 250.1 आफ 2002, निर्णय 21/10/2005

2 जुलाई, 2010 से पूर्व अदालतों ने जो फैसले दिए हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। साफ है कि संशोधान सिर्फ राजा महमूदाबाद को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया।

राजा महमूदाबाद की राजनीति में ऊपर तक पहुंच है इसकी पुष्टि सबा नकवी के लेख से भी होती है। इस लेख में कहा गया है कि महमूदाबाद का शासक परिवार इस क्षेत्र का राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावी परिवार है जिसका नेहरू परिवार और कांग्रेस से गहरा संबंध रहा है। राजा सुलेमान मियां उर्फ मोहम्मद आमिर खान यह दावा करते हैं कि उनके दादा का पंडित मोतीलाल से गहरा संबंध था और वे उनके द्वारा स्थापित स्वराज्य पार्टी में शामिल भी हुए थे। राजा के पिता मोहम्मद आमिर अहमद खान बाद में कांग्रेस द्वारा मुसलमानों की उपेक्षा किए जाने के कारण मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। वे जिन्ना के प्रमुख सहयोगी थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था वह उनके महल महमूदाबाद हाउस में हुआ था।[13]

कनिका दत्त के अनुसार[14] राजा दो बार कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश के विधायक चुने गए थे। पहली बार उन्होंने 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी के निर्देश पर चुनाव लड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में राजा ने जो याचिका दायर की थी उसमें यह दावा किया था कि 1981 में केंद्रीय सरकार ने उन्हें पूर्वजो की छोड़ी हुई संपत्ति में से 25 प्रतिशत भाग देने की पेशकश की थी। यह उस संपत्ति का भाग है जो कि उनके स्वर्गीय पिता के पाकिस्तान चले जाने के बाद भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अपने नियंत्रण में ली थी। राजा ने इसके खिलाफ बम्बई हाईकोर्ट में 2001 में अपील की थी। सवाल यह पैदा होता है कि राजा साहब 15 वर्ष से भी अधिक समय तक चुप क्यों रहे? उन्होंने अपने पूर्वजों की संपत्ति, जो कस्टोडियन के पास थी, की वापसी के लिए अदालत की शरण क्यों नहीं ली?

□

---

[13] साप्ताहिक आउटलुक, 13 मार्च, 2006

[14] कनिका दत्त, बिजनेस स्टैंडर्ड, 14 सितंबर, 2010, Lunch With BS: Mohammad Amir Mohammad 'Sulaiman' Khan

VI
संकीर्णता की राजनीति

यह पहला अवसर नहीं है जब नेहरू परिवार और कांग्रेस ने व्यक्तिगत दोस्ती की खातिर राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखा हो। उत्तर प्रदेश के जस्टिस वजीर अली परिवार से नेहरू परिवार के घनिष्ठ संबंध थे। इस परिवार के एक सदस्य सैयद अली जहीर कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वे केंद्र और राज्य में कांग्रेस के मंत्री भी रहे। उनके छोटे भाई सज्जाद जहीर भारत के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें पाकिस्तान में संगठन की जड़ें जमाने के उद्देश्य से 1948 में पाकिस्तान भिजवाया था। वे वहां पर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव बनाए गए। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए रूस के इशारे पर पाकिस्तानी सरकार को अपदस्थ करेन के लिए 1951 में वामपंथियों ने सेना के कुछ अधिकारियों के साथ एक साजिश रची। इस साजिश के सरगना मेजर जनरल अकबर खां थे। यह वही अधिकारी थे जिनक नेतृत्व में 1948 में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू–कश्मीर पर हमला किया था। इन आक्रमणकारियों की कमान इसी मेजर जनरल के हाथ में थी। हालांकि उसने अपना फर्जी नाम जनरल तारिक रखा था। इस साजिश का सुराग पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी को लगा। पाकिस्तान में इस रावलपिंडी साजिश केस का नाम दिया गया। इस साजिश को विफल करने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन सेनापति जनरल अयूब खां के निर्देश से सेना ने पाकिस्तानी मुख्यालय में नियुक्त मेजर जनरल अकबर खां को रातों–रात गिरफ्तार कर लिया। इस साजिश के अभियुक्तों में मेजर जनरल अकबर खान के अतिरिक्त 15 अन्य अभियुक्त भी शामिल थे। इन अभियुक्तों में एयर कमांडर एम.के. जनजुवा, मेजर जनरल नजीर अहमद, ब्रिगेडियर साजिद खां, ब्रिगेडियर लतीफ खां, लेफ्टिनेंट कर्नल जहीरुद्दीन, लेफ्टिनेंट कर्नल नियाज मोहम्मद, कैप्टन खिज्र हयात, मेजर हसन खां, मेजर इशाक मोहम्मद, कैप्टन जफरूल्ला, श्रीमती नसीम अकबर खां, उर्दू के विख्यात कवि एवं वामपंथी फैज अहमद, सैयद सज्जाद जहीर और मोहम्मद हुसैन अता शामिल थे।

हैदराबाद जेल के भीतर सेना की एक विशेष ट्रीब्यूनल ने 18 महीने की सुनवाई के बाद इनमें से सात अभियुक्तों को फांसी और अन्य को उम्रकैद की सजा दी। कहा जाता है कि फांसी की सजा पाने वालों में सैयद सज्जाद जहीर भी शामिल थे।

कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ख्वाजा नीजमुद्दीन ने सैयद सज्जाद जहीर के मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में भारत सरकार ने सैयद सज्जाद जहीर को भारत वापस आने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके साथ ही उन्हें न केवल भारत की नागरिकता प्रदान की गई बल्कि केंद्र सरकार ने उनकी जो पैतृक संपत्ति अपने नियंत्रण में ली थी उसे भी वापस लौटा दिया।

इसी तरह से मुंबई स्थित जिन्ना हाउस भी पाकिस्तान सरकार की विशेष रूचि का केंद्र बना हुआ था। मालाबार हिल पर स्थित इस भवन का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना ने 1927 में अपनी पत्नी एवं प्रेमिका शरीन दिनसा के साथ जीवन गुजारने के लिए करवाया था। मुहम्मद अली जिन्न की पत्नी की बाद में मृत्यु हो गई थी। भारत में जिन्ना दो भवनों के स्वामी थे। इनमें से नई दिल्ली के औरंगजेब रोड पर स्थित भवन को उन्होंने पाकिस्तान जाने से पूर्व सेठ रामकिशन डालमिया को बेच दिया था। जहां तक जिन्ना हाऊस का संबंध है। जिन्ना जैसे कड़क व्यक्ति को भी इस भवन से गहरा भावनात्मक लगाव था। पाकिस्तान के शासक बनने के बाद भी उनका मन इसी भवन में टिका रहा। पाकिस्तान में नियुक्त पहले भारतीय हाई कमिश्नर श्रीप्रकाश ने अपनी आत्मकथा **"पाकिस्तान में मेरे दिन"** में इस भवन का उल्लेख करते हुए कहा है कि कायदे आजम ने उनसे यह अनुरोध किया था कि वे पंडित नेहरू से यह सिफारिश करें कि जिन्ना हाऊस उनके हवाले कर दिया जाए। श्रीप्रकाश के अनुसार नेहरू इसके लिए सहमत हो गए थे, मगर तत्कालीन पुनर्वास मंत्री गाडगिल साहब ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। इस पर जिन्ना ने पंडित नेहरू से टेलिफोन करके यह अनुरोध किया कि जिन्ना हाऊस का किराएदार उनकी मर्जी से चुना जाना चाहिए। उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि इस भवन के साथ वे गहरे तौर से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं इसलिए वे ऐसा किराएदार चाहते हैं जो इसकी समुचित देखभाल कर सके। उनके इस अनुरोध को नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया।

दैनिक ट्रिब्यून 28 अक्टूबर, 2008 के अंक में नीलिमा लाम्बा ने 'जिन्ना की विरासत' नामक लेख में कहा है कि कई दशकों तक पाकिस्तान मुंबई के जिन्ना हाउस के मामले को भुनाने का प्रयास करता रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में रहने का निर्णय किया और कराची में एक संपत्ति मोहात्ता पैलेस प्राप्त कर लिया। इस तरह से बंबई के पॉश एरिया मालाबार हिल स्थित जिन्ना हाउस कस्टोडियन की संपत्ति बन गया। हालांकि जिन्ना इसे अपने पास रखना चाहते थे। उन्होंने इस संदर्भ में पंडित नेहरू को एक पत्र भी लिखा था। 1978 में जब भारत ने कराची में अपना वाणिज्य दूतावास स्थापित किया तो पाकिस्तान बंबई में अपना वाणिज्य दूतावास स्थापित करना चाहता था। तब उसने जिन्ना हाउस का कोई उल्लेख नहीं किया। बाद में तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल सत्तार ने इस संदर्भ में प्रयास शुरू किए। भारत ने इन प्रयासों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना शुरू किया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे बाद में अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें यह भय था कि इस संपत्ति का दुरूपयेग होगा। दिसंबर 1983 में विदेश मंत्री नरसिम्हा राव ने राज्यसभा में कहा कि जिन्ना हाउस को पाकिस्तान को लीज पर देने की मांग को स्वीकार करना संभव नहीं है।

इस लेखक के अनुसार पाकिस्तान कई सालों तक बंबई में अपना कार्यालय खोलने की बात को टालता रहा। इसका कारण यह था कि पाकिस्तान ने इसे जिन्ना हाउस से जोड़ दिया था, जिसे वह पाकिस्तान वाणिज्य दूत का निवास स्थान बनाना चाहता था। बाद में जब 90 के दशक में पाकिस्तान ने वाणिज्य दूतावास खोला तो उसने वहां पर एक भवन फास्ट ट्रैक को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत सरकार ने फरवरी 1993 में मंजूर कर लिया। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास एवं पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस पर अपने वाणिज्य दूत के इस प्रस्ताव पर नाराज था। उनकी इच्छा वहां पर दफ्तर खोलने की या वीजा देने की नहीं थी। दो वर्ष तक जब तक यह दफ्तर वहां खुला रहा पाकिस्तान ने एक भी वीजा जारी नहीं किया। 20 मार्च, 1994 को यह दफ्तर पाकिस्तान ने बंद कर दिया। हालांकि नवबर 2010 में शत्रु संपत्ति पर जारी विवादों के बीच भारत सरकार ने इस संपत्ति का अंतिम रूप से अधिग्रहण कर लिया।

"पाकिस्तान द्वारा जिन्ना हाउस को प्राप्त करने के लिए यह तर्क दिया जाता है कि पाकिस्तान के संस्थापक से इस भवन का भावनात्मक लगाव रहा है, हालांकि

पाकिस्तान में जिन्ना की जो संपत्ति थी उसके बारे में पाकिस्तान ने कभी यह भावना नहीं व्यक्त की है। पाकिस्तानी समाचार पत्र[15] में कराची के एक खस्ताहाल भवन का चित्र छपा था, जिसमें जिन्ना पैदा हुए थे। इसी तरह से बलुचिस्तान के जियारत स्थित जिस भवन में जिन्ना ने अंतिम सांसद ली थी उसे भी उपेक्षित भवन की संज्ञा एक लेख में दी गई है। जिस दिन भावनात्मक आधार पर पाकिस्तान जिन्ना हाउस को प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा था उसी दिन पाकिस्तान के एक दूसरे समाचारपत्र[16] में कहा गया कि कराची के फ्लैग स्टाफ हाउस[17] की बिजली सरकार ने काट दी है। इन सबके बावजूद भारत में शत्रु संपत्ति को लेकर राजनीतिक दलों खास कर मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्षधर दलों और सांसदों द्वारा इसका लगातार विरोध जारी है। इससे देश को कितना नुकसान पहुंचेगा, फिलहाल इसके बारे में सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति गतिविधियां जो दर्शाती हैं उसके अनुसार यूपीए सरकार मुस्लिम सांसदों और मुस्लिम समर्थक दलों के आगे नतमस्तक हो गई है।

शत्रु संपत्ति कानून भारत की संसद द्वारा पारित एक ऐसा कानून है जिसका संबंध राष्ट्रीयता के प्रश्न से भी है। इस कानून को विभाजन एवं भारत–चीन और भारत–पाकिस्तरन युद्धों के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं उनके आलोक में बनाया गया था। पिछले तीस वर्ष में इस कानून से पड़ने वाले प्रभाव से विरोध एवं आपत्तियां तो रही थीं लेकिन किसी ने इसे सांप्रदायिक आधार पर नहीं देखा था। राजा महमूदाबाद के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से इस पूरे मुद्दे को अनेक रजानीतिक दलों ने तात्कालिक लाभ के लिए सांप्रदायिक चश्में से देखना शुरू कर दिया है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो किसी भी नीति का निर्माण और उसका क्रियान्वयन धर्मनिरपेक्ष और कानून के शासन के आधार पर न होकर सांप्रदायिक विरोधों, व्यतिक्रमों एवं व्याख्या के कारण भारत के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के लिए एक आत्मघाती परिस्थिति का निर्माण करेगा।

□

[15] स्टार, (पाकिस्तान) 15 मई, 1993

[16] द डॉन (पाकिस्तान), 9 मई, 1994

[17] कराची में पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जिन्ना का निवास स्थान

अनुलग्नक

Bill No. 75 of 2010

The Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2010

A

BILL

Further a amend the Enemy Property Act, 1968 and the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971

Be it enacted by Parliament in the Sixty-first Year of the Republic of India as follow:-

1. (1) the act may be called the Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 2nd day of July, 2010.

2. On and from the date of commencement of the Enemy Property Act, 1968 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 5, after sub-section (2), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted namely:-

(3) The Enemy property vested in the Custodian shall, notwithstanding that the enemy or the enemy subject or the enemy firm has ceased to be an enemy due to death, extinction, winding up of business or change of nationality or that the legal heir and successor is a citizen of India or the citizen

of a country which is not an enemy, continue to remain vested in the Custodian till it is divested by the Central Government.

Explanation- For the purpose of this section, "enemy property vested in the Custodian" shall include all titles, rights and interest in, or any benefit arising out of, such property vested in him under the Act.

3. After section 5 of the principal Act, the following section shall be interested, namely:

"5A. The Custodian may, after making such inquiry as he deems necessary, by order, declare that the property of the enemy or the enemy subject or the enemy firm described in the order, vests in him under the Act and issue a certificate to this effect and such certificate shall be the evidence of the facts stated therein."

4. on and from the date of commencement of the principal Act, in section 6, the following Explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted, namely:-

"Explanation- For the removal of doubts, it is hereby declared that, for the purposes of this section, the transfer of any enemy property shall not include nay transfer or any claim of transfer made-

(a) Through oral will or oral gift; or

(b) By concealment of enemy nationality; or

(c) In case the transfer of such property require the permission of the Reserve Bank of India or any other competent authority, without such permission; or

(d) Without the permission of the Custodian."

5. In section 8 of the principal Act, in sub-section (2)-

(a) After clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ia) fix and collect the rent, standard rent, lease rent, license fee or usage charges, as the case may be, in respect of enemy property."

(b) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iva) secure vacant possession of the enemy property by evicting from the unauthorized or illegal occupant or trespasser and remove unauthorized or illegal constructions, if any."

6. After section 10 of the principal Act, the following section shall be inserted namely:-

"10A. (1) where the Custodian proposes to sell any enemy immovable property vested in him, as referred to in section 8, to any person, he may on receipt of the sale proceeds of such property, issue a certificate of sale in favor of such person and such property have not been handed over to the transferee, be valid and conclusive proof of ownership of such property by such person.

(2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the certificate of sale, referred to in sub-section (1), issued by the Custodian shall be a valid instrument for the registration of the property in favor of the transferee and the registration in respect of enemy property for which such certificate of sale had been issued by the Custodian, shall not be refused on the ground of lack of original title deeds in respect of such property or for any such other reason."

7. in section 11 of the principal act, after sub-section (2), The following sub-section shall be inserted, namely:-

"(3) the Custodian, Deputy Custodian or Assistant Custodian shall have for the purposes of exercising powers or discharging powers of discharging his functions under this Act, the same powers as are vested in civil court under the Code of Civil procedure, 1908, while dealing with any case under this Act, in respect of the following matters, namely:-

(a) Requiring the discovery and inspection of document;

(b) Enforcing the attendance of any person, including any officer dealing with land, revenue and registration matters, banking officer or officer of a company and examining him on oath;

(c) Compelling, the production of books, document and other records; and

(d) Issuing commissions for the examination of witness or document."

8. in Section 17 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "two per centum", at both the places where they occur, the words "five per centum" shall be substituted.

9. On and from the date of commencement of the principal Act, after section 18, the following section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted, namely:-

"18A. Any income received in respect of the enemy property by the Custodian shall not, notwithstanding that such property had been divested or transferred to any other person, be returned or liable to be returned to such person or any other person unless so directed by order, by the Central Government."

10. After section 18A of the principal Act, {as so inserted by section 9 of this Act}, the following section shall be inserted, namely:-

"18B. No court shall have jurisdiction to order divestment from the Custodian of enemy property vested in him under this Act or direct the Central Government is an enemy property or not.

18C. the Central Government may, by general or special order, direct that any or all enemy property vested in the Custodian under this Act shall be sold or disposed off in such manner as may be prescribed."

11. In section 20 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "five hundred rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

12. in section 23 of the principal Act, in Sub-section (2), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(da) the manner of sale or disposal the enemy property vested in the Custodian under section 18C;"

13. After section 25 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"26, Notwithstanding anything contained in nay judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority-

(a) The provisions of this Act, as amended by the Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2010, shall have and shall be deemed always to have effect for all purposes as if the provisions of this Act, as amended by the said Act, had been in force at all material times;

(b) any enemy property divested from the custodian to any person under the provisions of this act, as it stood immediately before the commencement of the Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2010, shall stand transferred to and vest or continue to vest, free from all encumbrances, in the Custodian in the same manner as it was vested in the Custodian before such divesting of enemy property under the provisions of this Act, as amended by the aforesaid Act, were in force at all material times;

(c) no suit or other proceeding shall, without prejudice to the generality of the foregoing provisions, be maintained or continued in any court or tribunal or authority for the enforcement of any decree or order or direction given by such court or tribunal or authority directing divestment of enemy property from the Custodian vested in him under section 5 of this Act, as it stood before the commencement of the Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2010 and such enemy property shall continue to vest in the Custodian under section 5 of this act, as amended by the aforesaid Act, as the said section, as amended by the aforesaid Act, was in force at all material times;

(d) any transfer of any property, vested in Custodian, by virtue of nay orders of attachment, seizure or sale in execution of decree of a civil court or orders of any tribunal or other authority in respect of enemy property vested in the Custodian which is contrary to the provision of this Act, as amended by the Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2010, shall be deemed to be null and void and notwithstanding such transfer, continue to vest in the Custodian under this Act."

14. In the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971,

(a) in section 2, in clause (e), after sub-clause (3), the following sub-clause shall be inserted. namely:-

"(4) any premises of the enemy property as defined in clause (c) of section 2 of the Enemy Property Act, 1968;"

(b) in section 3, in clause (a)-

(i) in the second proviso, the word "and" shall be omitted;

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that Custodian, Deputy Custodian and Assistant Custodian of the enemy property under section 3 of the Enemy Property Act, 1968 shall be deemed to have been appointed as the Estate Officer in respect of those enemy property, being the public premises, referred to in sub-clause (4) of clause (e) of section 2 of this Act for which they had been appointed as the Custodian, Deputy Custodian and Assistant Custodian under section 3 of the Enemy Property Act, 1986.

15. (1) The Enemy Property (Amendment and Validation) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Enemy Property Act, 1968 or the Public Premises (Eviction of

Unauthorized Occupants) Act, 1971 as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of those Acts as amended by this Act.

Statement of Objects and Reasons

The enemy property Act, 1968 was enacted on the 20th August, 1968 to, inter alia, provide for the continued vesting of enemy property vested in the Custodian of Enemy Property for India under the Defence of India Rules, 1962 and for matter connected therewith.

2. of late, there have been various judgments by various courts that have adversely affected the powers of the Custodian and the Government of India as provided under the Enemy Property Act, 1968. In view of such interpretation by various courts, the Custodian has finding it difficult to sustain his actions under the Enemy Property Act, 1968.

3. In the above circumstances, it has become necessary to amend the Enemy Property Act, 1968, inter alia, to clarify the legislative intention with retrospective effect providing

(a) that the enemy property shall continue to vest in the custodian till it is divested by the Central Government, even if the enemy subject or enemy firm ceases to be enemy due to death, extinction. Winding up of business or change of nationality or that the legal heir or successor is a citizen of India or citizen of a country which would be evidence of facts stated therein;

(b) to authorized the Custodian, after making such enquiry as he deems necessary, to declare that the property of the enemy, or the enemy subject, or the enemy firm vest in him under the aforesaid Act and issue a certificate to that effect which would be evidence of facts stated therein;

(c) that the transfer of any enemy property shall not include any transfer or any claim of transfer made through oral will or oral gift or by concealment of enemy nationality or, in case the transfer of such property requires the

permission of the Reserve Bank India or any other competent authority, any transfer without such permission or without the permission of the Custodian;

(d) that no court shall have jurisdiction to order divestment from the Custodian of enemy property vested in him under the aforesaid Act or direct the Central Government to divest such property from the Custodian, but the court shall have jurisdiction to adjudicate whether the property claimed to be vested in the custodian is an enemy property or not;

(e) to authorize the Central Government to direct that any or all enemy property vested in the Custodian under the aforesaid Act shall be sold or disposes of in such manner as may be prescribed:

(f) that any transfer or any other action taken contrary to the provisions of the aforesaid Act, as amended by the proposed legislation, would be null not void.

4. in order to have speedy and effective eviction unauthorized occupants from the enemy property under the Custodian, it is proposed to amend the Public Premises (Eviction and Assistant Custodian of Enemy Property appointed under the Enemy Property Act, 1968 as "Estate officer" in respect of the enemy properties.

5. As parliament was not in session and an urgent legislation was required to be made, the President promulgated the Enemy Property (Amendment and Validation) ordinance, 2010 on the 2nd July, 2010.

6. The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

P. Chidambaram

New Delhi:

The 22nd July, 2010

□□□

डॉ. सुषमा वाहेंगबम भारत नीति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में अध्येता (फेलो) हैं।

ओंकारेश्वर पांडेय संडे इंडियन के संपादक हैं।

मनमोहन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं।